

1237/2014/37

प्रश्नात्मक प्रक्रिया ३७० सन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन - 462 004

क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10

भोपाल, दिनांक 05/09/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभारीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
भोपाल।

विषय:- शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया के सुवित्तयुक्तकरण के संबंध में।

- संदर्भ:- 1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश क्रमांक एफ १-१/८८/४९-१, दिनांक ०८/०२/१९८८ एवं पत्र दिनांक ०९/०२/१९८३।
 2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश क्रमांक एफ १२(१)/८८/४९-१०, दिनांक १२/०३/१९८८।
 3. सा० प्र० वि० का परिपत्र क्रमांक एफ-११(१०)/९६/१-१० दिनांक ३१/०५/१९९६।
 4. — सा० प्र० वि० का परिपत्र क्रमांक एफ-१५(००)/९६/१-१० दिनांक २१/०४/१९९७, दिनांक १०/०७/१९९७ एवं दिनांक ११/११/१९९७।
 5. सा० प्र० वि० का परिपत्र क्रमांक एफ ११-(३२)/९७/१-१० दिनांक २८-०२-१९९८।

-०-

राज्य शासन द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया का सुवित्तयुक्तकरण करते हुये पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेश/निर्देशों को निरस्त किया जाकर निम्नानुसार एकजाई निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- 1) प्रचलित पद्धति अनुसार ही अन्वेषण अभिकरण/व्यवितरण परिवादी, अभिलेख सहित अभियोजन की स्वीकृति के आवेदन पत्र, विधि और विधायी कार्य विभाग को प्रेषित करेगा।
- 2) विधि और विधायी कार्य विभाग एक सम्पादक के भीतर आवेदन पत्र को मूलतः अभिलेख सहित, प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित करेगा।
- 3) प्रकरण का परीक्षण कर प्रशासकीय विभाग यदि यह पाता है कि प्रकरण अभियोजन छोटी स्वीकृति के योग्य है, तो वह प्रकरण की प्राप्ति से ५५ दिन की अवधि के भीतर अभियोजन की स्वीकृति जारी कर, उसे अन्वेषण अभिकरण/व्यवितरण परिवादी को प्रेषित करेगा तथा स्वीकृति आदेश की एक प्रति विधि और विधायी कार्य विभाग को भी अग्रेषित करेगा।

- 4) यदि प्रशासकीय विभाग प्रकरण को अभियोजन स्वीकृति के योग्य नहीं पाता है तो वह अपने सकारण निष्कर्ष सहित प्रकरण को 30 दिन के भीतर विधि अभियोजन हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग को प्रेषित करेगा।
- 5) विधि और विधायी कार्य विभाग प्रकरण का परीक्षण कर, प्रशासकीय विभाग से प्रकरण की प्राप्ति से 15 दिवस की अवधि में, प्रशासकीय विभाग को अपने लिखित सकारण अभियोजन से अवगत करेगा।
- 6) यदि विधि और विधायी कार्य विभाग का अभियोजन यह है कि अभियोजन अस्वीकृति से वह सहमत है, तो प्रशासकीय विभाग अभियोजन स्वीकृति के आवेदन पत्र को अंखीकृत कर, तदनुसार अन्वेषण अभियोजन/व्यवितरण परिवादी को सूचित करेगा। आदेश की प्रति विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भी प्रेषित की जाएगी।
- 7) यदि विधि विभाग की दृष्टि में अभियोजन स्वीकृति दी जाना चाहिये और पुनर्विचार करने पर प्रशासकीय विभाग विधि विभाग की राय से सहमत होता है, तो फिर प्रशासकीय विभाग 15 दिवस के अंदर अभियोजन स्वीकृति जारी कर, आदेश की प्रति विधि विभाग को पूर्णांकित करेगा।
- 8) पुनर्विचार पश्चात भी प्रशासकीय विभाग के निष्कर्ष एवं विधि और विधायी कार्य विभाग के अभियोजन भिन्न होने की दशा में, प्रशासकीय विभाग प्रकरण संक्षेपिका की 20 प्रतियों के साथ 15 दिवस के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मन्त्रि-परिषद् समिति के किंचारण भेजेगा। प्रशासकीय विभाग मन्त्रि-परिषद् समिति के निर्णय के अनुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही करेगा।
- विधि और विधायी कार्य विभाग सभी प्रशासकीय विभागों के संबंध में अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उनके निराकरण के आदेशों से संबंधित सम्पूर्ण विवरण सूचारित करेगा।
- उपरोक्त समर्त कार्यवाही अभियोजन स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिक से अधिक 03 माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए।
- यदि इस सम्बादधि से अधिक समय लगते की स्थिति होती है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा कारण सहित प्रकरण समन्वय में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाकर 01 माह के अंतिम समय में प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करें।
- किसी भी प्रकार की भान्ति से बचने के लिये यहां यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिन प्रकरणों में विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा अंतिम रूप से अभियोजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उन पर इस नीति के अंतर्गत पुनर्विचार नहीं किया जायेगा, परन्तु जो प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग के सम्बन्धित हैं, उन्हें इस नीति के अन्तर्गत निराकरण हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजा जायेगा।

2/ शासन के उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं। इन्हें उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

Shri
(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक 05/09/2014

1. रजिस्ट्रार, माननीय उपरोक्त न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी म0प्र0 शासन, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय म0प्र0 भोपाल,
4. सचिव, लोकायुक्त संगठन, म0प्र0 भोपाल,
5. महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल,
6. सचिव, म0प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
8. संचालक जनसंपर्क, म0प्र0 भोपाल,
9. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Shri
प्रमुख सचिव,
मंप्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग